पे 31/07/25

15/7/25

31/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT r.w. O.39 R1&2 CPC के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम कोलवी पटवार हल्का खारपाकला की वादग्रस्त आराजी ख० नं० 635/161 रकबा 1 बीघा में हिस्सा 1/2 के सादा० बेचान पत्र दिनांक 01/7/2019, बेचान इकरार दिनांक 20/1/2011 (Noterized & stamped), सादा० बेचान पत्र दिनांक 10/05/1993, एवं पेश शपथ के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मूल ख०नं० 161 रकबा 1 बीघा का बेचान अप्रार्थी 1 व 2 के पिता श्री [illegible] द्वारा दिनांक 10/5/1993

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
डग जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.08.07 18:07:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

की प्रार्थिया के दादा श्री पूरसिंह पिता पहाड़सिंह को कब्जा सौंप दिया था इसी के confirmation के लिये इसी वादग्रस्त भूमि को लेकर 100 रुपये के stamp paper इकरारनामा भी हुआ जो notorised भी है। प्रार्थिया के दादा श्री पूरसिंह के पास वादग्रस्त भूमि का स्वामित्व (title) and कब्जा (possession) दोनों होना prima facie जाहिर होता है। केवल क्रेता व विक्रेता की death होने और खाते नामों से वारिसान के नाम खाते में दर्ज होने से राज0 विक्रय पत्र Dt 10/5/1993 का नामा0 दर्ज नहीं होना प्रतीत होता है। राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में नाम दर्ज होने मात्र से कोई व्यक्ति सदैव खातेदार नहीं हो जाता।

Hon'ble Supreme court ने Balwant Singh V/s Daulat singh 1997 SCC 137 (supra), Surajbhan v/s Financial Commissioner (2007) 6 SCC 186, Jitendra Singh V/s state of MP 2021 SCC online SC 802, T. Ravi V/s Chinna Narsimha (2017) 7 SCC 342 आदि प्रकरणों में प्रतिपादित किया है कि "mutation entry doesn't confer any right, title or interest in favour of person and the object is only for the fiscal purpose".

अतः अप्रार्थी 1 के पास वादग्रस्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.08.07 18:07:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म

भूमि का title and possession दोनों नहीं होने पर भी केवल खसरे में नाम दर्ज होने मात्र के आधार पर अप्रार्थी 3. के पक्ष में किया गया बेचान पत्र दिनांक 0/07/2019 prima facie ab-initio void जाहिर होता है और प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति कारित करने वाला जाहिर होता है। stay order जारी करने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA r.w.o. 39 R1&2 CPC स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद इस आशय से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। कोई अन्तरण नहीं करें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.08.07 18:07:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner